प्रकरण संख्या 193/2017 भेरा व अन्य बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.2018	वकील अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 04.01.2017 को वादी के वाद की नकल तहसीलदार को दिये जाने व तहसीलदार/रेस्पोन्डेन्ट के जवाब के लिए पत्रावली लम्बित थी। प्रकरण में दिनांक 26.04.2017 को दिनांक 12.07.2017 के लिए पेशी नियत की गयी, किन्तु पत्रावली दिनांक 12.07.2017 के स्थान पर दिनांक 01.06.2017 को रखी जाकर वादी/अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर दिये बिना तथा प्रकरण में तनकियात कायम किये बिना दिनांक 01.06.2017 को रेस्पोन्डेन्ट/तहसीलदार बड़गांव के जवाबदावे के आधार पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो स्पष्टतया प्राकृतिक न्याय एवं विधिक के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकियात कायम कर तथा उभयपक्षों को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर व सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11.09.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 193/2017 भेरा व अन्य बनाम सरकार